

I/35860/2022

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह, भा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
नालन्दा / बाँका / पूर्णिया

विषय :-

मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आपके कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मियों को वेतनादि मद में बकाया वेतन हेतु कुल-**1,20,87,283/-**(एक करोड़ बीस लाख सतासी हजार दो सौ तेरासी) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

| क्र०स० | कार्यालय का नाम | विषय शीर्ष | | | | | योग | अभ्युक्ति |
|------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------|---|
| | | 01 01 वेतन | 01 03 जी०या०म० | 01 04 म०कि०भ ० | 01 05 परिवहन भत्ता | 01 06 चि०भत्ता | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा | 5600000 | 1000000 | 1810000 | 1610000 | 70000 | 10090000 | आपका अधियाचना पत्रांक 393-I दिनांक 02.11.2022 |
| 2 | बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका | 1137270 | 0 | 76256 | 282215 | 7542 | 1503283 | आपका अधियाचना पत्रांक 946 दिनांक 07.09.2022 |
| 3 | बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ | 400000 | 0 | 93000 | - | 1000 | 494000 | आपका अधियाचना पत्रांक 644 दिनांक 08.10.2022 |
| कुल योग :- | | 7137270 | 1000000 | 1979256 | 1892215 | 78542 | 12087283 | |

(एक करोड़ बीस लाख सतासी हजार दो सौ तेरासी रुपये मात्र)

नोट :- जीवन यापन भत्ता मद में अधियाचना के अनुसार पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता में आधिक्य राशि उपलब्ध कराया गया है, जिसे समेकित रूप से बकाया वेतन का भुगतान किया जा सकता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

I/35860/2022

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

Signed by Jai Singh

Date: 14-11-2022 16:38:24

Reason: Approved

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सहायक निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।